न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस नं0–52/2018–19

तेतर दास

बनाम

मिरचु हरिजन वगैरह

29/7/25

–: आदेश :–

वर्तमान वाद आवेदक तेतर दास, पिता–हरिआ चमार, सा0–मालीचक शीतल, थाना–महागामा, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के द्वारा मौजा मालीचक, थाना नं0–447, जमाबंदी नं0–37, रकवा–00–00–13 धूर जमीन से विपक्षीगण को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने हेतु दाखिल किया है। दाखिल आवेदन के आलोक में विपक्षीगण को नोटिस निर्गत करते हुए कारण–पृच्छा की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल आवेदन, कारण–पृच्छा एवं अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक की पैतृक सम्पत्ति मौजा मालीचक नं0–447, जमाबंदी नं0–37 गत गेंजर सर्वे सेटलमेंट पर्चा में हरिआ चमार के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत हरिआ चमार का पुत्र है। आवेदक का जमीन मौजा मालीचक नं0–447, जमाबंदी नं0–37, रकवा–00–00–13 धूर जमीन विपक्षी बल पूर्वक अपने कब्जे मे कर लिया है। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि खाली करने पर आवेदक खाली नहीं कर रहे हैं जबकि कुछ दिन पहले समाजिक पंचनामा में विपक्षी ने लिख कर दिया था कि प्रश्नगत जमीन पर नहीं जाउँगा। अंत में अनुरोध करते हैं कि प्रश्नगत भूमि से विपक्षी को उच्छेद कर दखल दिलाया जाय।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि जमाबंदी रैयत हरिआ चमार नावल्द फौत कर गये। आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन में वंशावली नहीं दर्शाया गया है। विपक्षीगण जमाबंदी रैयत के वंशज हैं। विपक्षी के द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा में वंशावली अंकित किया गया है जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि के जमाबंदी रैयत दिलवर चमार थे। दिलवर चमार को एक पुत्री कंचन देवी एवं एक पुत्र हरिया चमार थे। हरिया चमार नावल्द फौत कर गये। कंचन देवी के पुत्र मिरचु हरिजन एवं हरचु हरिजन हैं एवं मिरचु हरिजन के पुत्र सिंगेश्वर दास (विपक्षी सं0–02) हैं। विपक्षीगण 1949 के पूर्व से मिट्टी का मकान खपरैल का छावनी देकर निवास करते चले आ रहे हैं। विपक्षीगण के पूर्वजों ने हरिया चमार का श्राद्ध कर्म किया था क्योंकि हरिया चमार को नावल्द फौत कर गये। अंचल अधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अंकित है कि मौजा मालीचक, जमाबंदी नं0–37, दाग नं0–147, रकवा 13 धूर जमीन पर विपक्षीगण का मिट्टी दिवाल खपरैल का छावनी से निर्मित मकान बना हुआ है जिसमें विपक्षीगण सपरिवार निवास करते चले आ रहे हैं।

अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–93/रा0, दिनांक–15.01.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा मालीचक, थाना नं0–447, जमाबंदी नं0–37, दाग नं0–147, रकवा 13 धूर मकान में सहन जमाबंदी रैयत हरिआ चमार वल्द दिलवर चमार कौम चमार

सा0—देह के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी—2 में जमाबंदी नं0—37, रकवा 13 धूर हरिआ चमार के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत हरिआ चमार के पुत्र हैं। विपक्षी मिरचू हरिजन पिता मारवाड़ी हरिजन वो सिंगेश्वर हरिजन पिता मिरचू हरिजन, सा0—मालीचक जमाबंदी रैयत के वंशक्रम में नहीं आते हैं। वादगत भूमि रैयती प्रकृति का है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा—20 के तहत रैयती भूमि अहस्तांतरणीय है। पत्रांक—118/रा0, दिनांक—25.01.2025 के द्वारा भी प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी मिरचू हरिजन के द्वारा मकान बनाय गया है। मिरचू हरिजन की मृत्यु हो गई है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर बने मकान में मिरचू हरिजन के पुत्र सिंगेश्वर हरिजन सपरिवार निवास कर रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गत गेंजर पर्चा में मौजा मालीचक, थाना नं0—447, जमाबंदी नं0—37, दाग नं0—147, रकवा 13 धूर मकान में सहन जमाबंदी रैयत हरिआ चमार वल्द दिलवर चमार कौम चमार सा0—देह के नाम से दर्ज है। विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत भूमि के जमाबंदी रैयत दिलवर चमार थे तथा हरिआ चमार नावल्द थे जबकि अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के द्वारा दाखिल गत गेंजर पर्चा में जमाबंदी रैयत हरिआ चमार है एवं आवेदक जमाबंदी रैयत का पुत्र है। विपक्षीगण जमाबंदी रैयत के वंशज नहीं है। प्रश्नगत भूमि रैयती है एवं अहस्तांतरणीय है।

अतः उपरोक्त तथ्यो से संतुष्ट होकर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षीगण को मौजा मालीचक, थाना नं0—447, जमाबंदी नं0—37, दाग नं0—147, रकवा 13 धूर जमीन से उच्छेद किया जाता है। अंचल अधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि वे जमीन पर आवेदक को दखल दिहानी दिलाकर अनुपालन से न्यायालय को अवगत करावें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

29/7/25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महागामा।

29/7/25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Bonde
Kumar Singh
Ad
08/09/25

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.10.15 15:53:17 +05:30
Location: 192.168.72.148